मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक /1752/2017/12/1 **भोपाल, दिनांक** 03/10/17

प्रति

कलेक्टर,
समस्त जिले
मध्यप्रदेश।

विषय:- ड्रिस्टिक्ट मिनरल फंड (डीएमएफ) की राशि के उपयोग के लिये प्राथमिकताएं।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28 जुलाई 2016 : मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम,2016

मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 के नियम 7 के तहत कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्यपालिक समिति का गठन किया गया है और इस समिति का यह दायित्व है कि वह पांच वर्ष के लिये योजना बनाकर डीएमएफ की राशि से स्थानीय विकास के कार्य कराये। अतः जिले में पांच वर्षों में डीएमएफ के तहत मिलने वाली राशि का आंकलन किया जायें।

2/ उक्त प्राप्त राशि का उपयोग मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 13 में बतलाई गई प्राथमिकताओं के तहत किया जाना है। जिसमें से 60 प्रतिशत राशि उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र में तथा 40 प्रतिशत राशि का उपयोग अधोसंरचना विकास में किया जाना प्रावधानित है।

इन नियमों के सामान्य स्वरूप को, बिना प्रभावित किये हुये. मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 6 एवं नियम 11 के प्रावधानों के तहत यह निर्देश दिये जाते हैं कि, 60 प्रतिशत प्राप्त राशि में से निम्नलिखित कार्य राज्य शासन की प्राथमिकता के अनुसार निम्न प्राथमिकता क्रम में किये जायें:-

(अ) **प्रथम प्राथमिकता** - मुख्यमंत्री पेयजल योजना के अंतर्गत किये जाने वाले समस्त कार्यों को प्राथमिकता दी जाये। यह कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से कराया जाये।

(ब) **द्वितीय प्राथमिकता** - जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की अधोसंरचना का विकास उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में आता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार दवारा अलग-अलग स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टेंडर्ड (आई.पी.एच.एस.) के नार्मस का निर्धारण किया गया है। दिसम्बर 2016 में स्वास्थ्य विभाग दवारा इन नार्मस के तहत एक असेट रजिस्टर बना लिया गया है। इसके नार्मस और उपलब्ध अधोसंरचना के मध्य गैप का निर्धारण किया गया है। डीएमएफ में प्राप्त राशि से सर्वोच्च प्राथमिकता के तहत चरणबध्द तरीके से स्वास्थ्य संरचना का विकास किया जाये। अनावश्यक उच्च स्वास्थ्य तकनीक, जिसका जिला स्तर पर संचालन किया जाना कठिन हो, पर विचार नहीं किया जाये।

(स) **तृतीय प्राथमिकता** - उपरोक्त कार्यों के बाद भी यदि, डीएमएफ में राशि शेष रहती है, तो जिला मुख्यालय एवं विकास खण्ड स्तर पर जिले की आवश्यकता को देखते हुये, एक-एक हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने के लिये प्रावधान किया जाये।

3/ पांच वर्ष की कार्य योजना का विकास करने के लिये राज्य योजना आयोग के कंसलटेंट से सहायता प्राप्त की जा सकती है।

4/ रूपये 10 करोड़ से कम लागत के कार्यों को स्वीकृत किया जाना:-

(1) संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी से कार्य के तकनीकी स्वीकृति और प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट ली जायेगी।

(2) कंडिका (1) अनुसार जिले के विभागीय अधिकारी दवारा तकनीकी/प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रदाय कर देने के बाद सदस्य सचिव द्वारा जिला खनिज प्रतिष्ठान के मण्डल के अध्यक्ष से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृति जारी की जायेगी।

5/ रूपये 10 करोड़ से अधिक की परियोजना के लिये स्वीकृति राज्य शासन के संबंधित विभाग से ली जायेगी।

6/ जिला खनिज प्रतिष्ठान में प्राप्त 40 प्रतिशत राशि का भविष्य में उपयोग लोक निर्माण विभाग एवं मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्यों में ही किया जाये। इसकी निर्माण एजेंसी यथा स्थिति लोक निर्माण विभाग/ मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण होगी। ऐसे स्वीकृत कार्यों को जिनमें कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, उन्हें निरस्त कर संपूर्ण राशि का उपयोग लोक निर्माण विभाग/ मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य यथा स्थिति लोक निर्माण विभाग/मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के माध्यम से किया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार शीघ्र कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत करावें।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जे0पी0 श्रीवास्तव)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग

पृ0क्र0 3971 /1752/2017/12/1 भोपाल,दिनांक 03/10/17

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/लोक निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी, ई-खनिज, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश की ओर वेब पोर्टल पर दर्शित करने हेतु।
4. गार्ड फाईल।

O/C (MEDS)
6/10/17

H.O.
6.10.17

12849
07/10/17

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग